न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 603/2022
दायर दिनांक :– 15.06.2022

अनवान

मीठू सिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी हन्सेडा तहसील जहाजपुर

प्रार्थी..............

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट प्रार्थी

:: आदेश :: दिनांक 15.09.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हन्सेडा पटवार हल्का भगुनगर भू.अ.नि.क्षेत्र अमरगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राजस्थान की कृषि आराजी खसरा संख्या 210/17 शा.न. 177, 178 रकबा 0.8640 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी के खाते मे दर्ज होकर उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। ग्राम हन्सेडा पटवार हल्का भगुनगर भू. अ. नि. क्षेत्र अमरगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 247/17 रकबा 2.0648 हैक्टेयर कृषि भूमि बिलानाम सरकार दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि आराजी नम्बर 210/17 मै प्रार्थी अपने हक व हिस्सा पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। तथा प्रार्थी अपने हक व हिस्से की खातेदारी भूमि मे ग्राम हन्सेडा से काछोला जाने वाली ग्रेवल सडक से होकर आराजी नम्बर 247/17 बिलानाम सरकार भुमि के पश्चिमी मेट के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर होकर जो नजरी नक्शा मे लाल स्याही से वर्णित ए से बी रास्ता से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी भमि आराजी नम्बर 210/17 पर आते जाते है व ट्रेक्टर, कषि उपकरण वगैरा ले जाकर काश्त करते है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। परन्तु आराजी खसरा संख्या 247/17 बिलानाम सरकार भूमि पर अतिकमियो ने कब्जा कर रास्ता को अवरूद्ध कर दिया, जिसे नजरी नक्शा ट्रेस मे ए से बी रास्ता दर्शाया गया है जो 20 फीट चौडा रास्ता है। रास्ता अवरूद्ध करने से प्रार्थी अपने खाते की कृषि जमीन आराजी खसरा नम्बर 210/17 मे आ जा नही पा रहे है। प्रार्थी ने अतिकमियो को वर्षों पूर्व चले आ रहे कदमी रास्ता को बन्द करने से मना किया तो लडाई झगडा करने पर आमदा हुये। प्रार्थी ग्राम हंसेडा से काछोला जाने वाले रास्ता से होकर आराजी नम्बर 247/17 की पश्चिमी मेड के सहारे उत्तर से दक्षिण जो नजरी नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

लाल स्याही से वर्णित ए से बी रास्ता से होकर जो 20 फीट चौडा रास्ता दर्शा रखा से होकर आराजी नम्बर 210/17 मे आते जाते है, को नक्शा ट्रेस मे तरमीम करवा रास्ता खुलासा करवाना चाहता है तथा ऐसा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिये उक्त वर्णित कृषि आराजी खसरा नम्बर 210/17 मे जाने आने हेतु नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शा रखा ए से बी भाग 20 फीट चौडा रास्ता को राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्ठा सीट मे तरमीम करवा, रास्ता किस्म दर्ज करवा, रास्ता को खुलासा किया जाना आवश्यक एवं न्याय सगंत है। नजरी नक्शा ट्रेस संलग्न है, जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। इस रास्ता मे निकलने से अतिक्रमी बाधा न डाले, न अपने नोकर एजेन्ट रिश्तेदारो से रुकवाकर पैदा करे से पाबंद्ध किया जावे। प्रार्थी रास्ता मे उपयोग की जाने वाली भूमि की प्रतिफल राशि देने को तैयार है। आराजी नम्बर 247/17 मे अतिकमियो द्वारा दिनांक 7.6.2022 को कदमी समय से चले आ रहे रास्ता को अवरुद्ध करने से वाद हेतुक 7.6..2022 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये उक्त वर्णित कृषि आराजी नम्बर 210/17 मे आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु ग्राम हन्सेडा से काछोला जाने वाले रास्ता से होकर बिलानाम सरकार आराजी नम्बर 247/17 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण होकर जो नजरी नक्शा मे लाल स्याही से वर्णित ए से बी रास्ता जो 20 फीट चौडा रास्ता को राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता दर्ज कर राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने का हुक्म तहसीलदार जहाजपुर को प्रदान करावे व रास्ता की भूमि का प्रतिफल प्रार्थी न्यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु तत्पर है एंव उक्त 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व जमाबंदी व राजस्व लटठा सीट मे तरमीम कर रास्ता को खुलासा करने एवं बिलानाम काबिल काश्त रास्ता से अतिकमियो को वेदखल कर रास्ता खुलासा करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थी की आराजी न. 210/17 कुल किता 1 रकबा 0.8640 हैक्टेयर में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 02.09.2022 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 247/17 में से रास्ता देने पर 0-11 बीघा (0.1188 हैक्टेयर) भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी की जोत आ.न. 210/17 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

...त्त भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 210/17 में आने जाने हेतु ख. न. 247/17 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ.न. 210/17 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकोर्ड नही है। और प्रार्थी की आ.न. 210/17 में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी सं. 247/17 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ.न. 210/17 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम हंसेडा प. ह. भगुनगर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 210/17 कुल किता 1 रकबा 0.8640 हैक्टेयर में आने जाने के लिये आ. न. 247/17 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 247/17 में से रास्ता देने पर कुल 0–11 बीघा (0.1188 हैक्टेयर) भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 247/17 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0–11 बीघा (0.1188 हैक्टेयर) की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 34,960 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक / रीडर / 22 / मु.न. 603 / 2022 दिनांक 15 .09.2022

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :— प्र. सं. 603 / 22 अनवान मीठू सिंह पिता भोपाल सिंह राजपूत नि. हन्सेडा बनाम तहसीलदार जहाजपुर में रास्ता तरमीम करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम हंसेडा प. ह. भगुनगर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 210 / 17 कुल किता 1 रकबा 0.8640 हैक्टेयर में आने जाने के लिये आ. न. 247 / 17 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 247 / 17 में से रास्ता देने पर कुल 0–11 बीघा (0.1188 हैक्टेयर) भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 247 / 17 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0–11 बीघा (0.1188 हैक्टेयर) की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 34,960 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा / अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाडा)

C : Tahsildar/km/RASTA 251 LETTER SS

Scanned with CamScanner